न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022 / 399
दायरा तिथि : 17.11.2022
आदेश तिथि : 07-08-2024

प्रार्थी :–
श्री नगराज चौधरी पुत्र ओटाराम सीरवी निवासी बाली तहसील बाली

ब नाम

अप्रार्थीगण :–

1. पकाराम पुत्र भगाराम
2. पेमाराम पुत्र भगाराम
3. लालाराम पुत्र भगाराम
4. मोटाराम पुत्र नथाराम
5. लच्छाराम पुत्र नथाराम
6. वरजु पत्नी नथाराम
7. लुम्बाराम पुत्र कलारामजी के कायम वारिसान
   7/1. तलसी पत्नी लुम्बाराम
   7/2. प्रकाश पुत्र लुम्बाराम
   7/3. लीला पुत्री लुम्बाराम
   7/4. नैनाराम पुत्र लुम्बाराम
   7/5. भमरी पुत्री लुम्बाराम
8. ऐजी पत्नी कलाराम
9. भूराराम पुत्र कलाराम जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा सोडाजी वाला, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश — दिनांक : 07-08-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित प्रपत्र–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 2716/7 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म चाही प्रथम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बाली के खसरा नंबर 2716/8, 2716/9, 2716/4 क्षेत्रफल क्रमशः 0.0400 हैक्टर, 0.0400 हैक्टर, 0.0838 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतिया भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F 3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जाच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एव भू.अ.निरीक्षक, बाली ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2023/3711 दिनांक 09.01.2023 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जाच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम बाली के खसरा नंबर 2716/7 रकबा 0.0400 हैक्टर की खातेदारी भूमि प्रार्थी श्री नगराज चौधरी पुत्र ओटाराम सीरवी जाति सीरवी के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि तक आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। वर्तमान में आवेदक इसी रास्ते से ही आवागमन करता है। उपरोक्त खसरा नंबर 2716/8 व 2716/9 में आवागमन होता था परंतु वर्तमान में 2716/8 के खातेदार द्वारा तो रास्ता खुला छोडा हुआ है व खसरा नंबर 2716/9 द्वारा रास्ते पर तारबंदी करके पगडंडी जितना रास्ता खुला छोडा हुआ है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........02

CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/399
अनवान नगराज बनाम पकाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	2716/8	0.0400 हैक्टर	चाही प्रथम	12X4= 48 वर्गमीटर	1. मोटाराम पुत्र नथाराम हिस्सा 1/3 2. लछाराम पुत्र नथाराम हिस्सा 1/3 3. वरजु पत्नी नथाराम हिस्सा 1/3
2	2716/9	0.0400 हैक्टर	चाही प्रथम	14X4= 56 वर्गमीटर	1. पकाराम पुत्र भगाराम हिस्सा 1/3 2. पेमाराम पुत्र भगाराम हिस्सा 1/3 (रहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक बाली) 3. लालाराम पुत्र भगाराम हिस्सा 1/3

3. यह है कि खसरा नंबर 2716/4 प्रार्थी खातेदार की संयुक्त खातेदारी भूमि है।
4. प्रस्तावित भूमि ग्राम बाली की डी.एल.सी.दर 4124642/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष पक्का निर्माण कार्य इत्यादि अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रार्थी की ओर से वकील श्री नेकाराम चौधरी उपस्थित। प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। समस्त अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। अप्रार्थी संख्या 02, 04, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 व 09 बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय द्वार नियत पेशियों पर वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7/1, 8 की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा मय रास्ता दिये जाने बाबत सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से वकील श्री दिनेश गहलोत ने वकालतनामा पेश किया गया। इनकी ओर से प्रस्तुत जवाब/आपत्ति प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु जिस भूमि में से नये रास्ते की मांग की जा रही है जो खातेदारी कृषि भूमि 2716 रकबा 0.5100 हैक्टर संवत 2068–2071 में प्रार्थी व अप्रार्थीगणों के संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। खसरा नंबर 2716 की कृषि भूमि का विभाजन प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य हुआ तब उक्त भूमि को अपने पूर्वज खेलाराम, ओटाराम, भगाराम, नथाराम के बहिस्से बराबर में विभाजन करना था लेकिन प्रार्थी नगराज व मोटाराम ने अन्य अप्रार्थीगण के गरीब व अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाते हुये उक्त भूमि को राजस्व भू–अधिकारियों से अपने पैसे के बल पर व अप्रार्थीगणों को अंधेरे मे रखते हुये ज्यादा भूमि रखते हुये विभाजन करवा दिया। विभाजन मे प्रार्थी नगराज ने ज्यादा भूमि अपने हिस्से में रखकर अप्रार्थीगणो के हितों की भूमि को हथियाने की कोशिश की है और अब भी अप्रार्थीगणों के हिस्से में आयी भूमि भूमियों को खुर्द बुर्द करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र छल कपट व दुर्भावना बदनियति से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी नगराज द्वारा प्रार्थना पत्र में जिस भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की मांग की है उस भूमि के अडो–अड ही प्रार्थी नगराज की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2716/5 आयी हुई है जिसमें से होकर ही प्रार्थी खसरा नंबर 2716/6 व 2716/7 की भूमि में आवा जावी कई वर्षो से करता आ रहा है। प्रार्थी नगराज व मोटाराम ने खसरा नंबर 2716/4 की भूमि पर अपने हिस्से में आयी भूमि से भी बढकर नवनिर्माण कार्य कर दिया है। शेष बची खसरा नंबर 2716/4 की भूमि जो अप्रार्थीगणों के हिस्से में रही है उस भूमि को भी खुर्द बुर्द करने व खसरा नंबर 2716/4 की शेष बची भूमि से भी अप्रार्थीगणों को वंचित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण के बंट में खसरा नंबर 2716/9 रकबा 0.0400 हैक्टर व 2716/4 रकबा 0.0838 की वर्तमान खेवट खतौनियों में दर्शित खातेदारों की शामलाती भूमि का विभाजन करने जाये तो बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म रकबा विभाजित होता है जिस रकबे से प्रार्थी अप्रार्थीगणों को वंचित करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किया जाये। प्रकरण में वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (seal)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........03

CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/399
अनवान नगराज बनाम पकाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात यह जाहिर है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2716/7 रकबा 0.0400 हैक्टर में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं होने से खसरा नंबर 2716/9, 2716/8 व 2716/4 में से नये रिकॉर्डेड रास्ते का आवेदन किया है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7/1, 8 की ओर से सहमति व्यक्त कर दी गई है। मात्र अप्रार्थीगण लालाराम, पकाराम पुत्रगण भगाजी द्वारा बेबुनियाद आपत्ति प्रस्तुत करते हुये वादग्रस्त भूमि के मूल खसरा नंबर 2716 रकबा 0.51 हैक्टर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजों के सहखातेदारी की भूमि होना अंकन करते हुये प्रार्थी को रास्ता नहीं दिये जाने का कथन किया है। अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को खसरा नंबर 2716/6 व 2716/7 में जाने के लिये खसरा नंबर 2716/5 में से होकर ही आवागमन करना वर्णित किया परंतु तथ्यों की पुष्टि में ऐसा कोई नक्शा पेश नहीं किया गया जिससे साबित हो कि प्रार्थी खसरा नंबर 2716/5 में से होकर अपनी खातेदारी भूमि 2716/7 में आवागमन कर सके। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत जाच रिपोर्ट मे भी उक्त रास्ते को नही दर्शाया गया तथा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम व निकटतम होने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां खारिज की जाती है तथा प्रार्थी को प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 2716/7 रकबा 0. 0400 हैक्टर किस्म चाही प्रथम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बाली के खसरा नंबर 2716/8 रकबा 0.0400 हैक्टर व 2716/9 रकबा 0.0400 हैक्टर **मेसे कुल 48+56=104 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर मे	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 4124642 /- प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2716/8	0.0400 हैक्टर	12X4= 48 वर्गमीटर	413	19824 X2=39648	वर्तमान जमाबंदी अनुसार
2716/9	0.0400 हैक्टर	14X4= 56 वर्गमीटर	413	23128X2=46256	वर्तमान जमाबंदी अनुसार
	योग	104 वर्गमीटर		85904	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार 85904/- **(अक्षरे पिचयासी हजार नौ सौ चार रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जावेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली व भू-अभि. बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/399
अनवान नगराज बनाम पकाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रांक : कोर्ट/2024/994-998 दिनांक : 07-08-2024

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. भू.अ.निरीक्षक बाली
3. पटवारी हल्का बाली
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री नगराज चौधरी पुत्र ओटाराम सीरवी जाति सीरवी निवासी बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

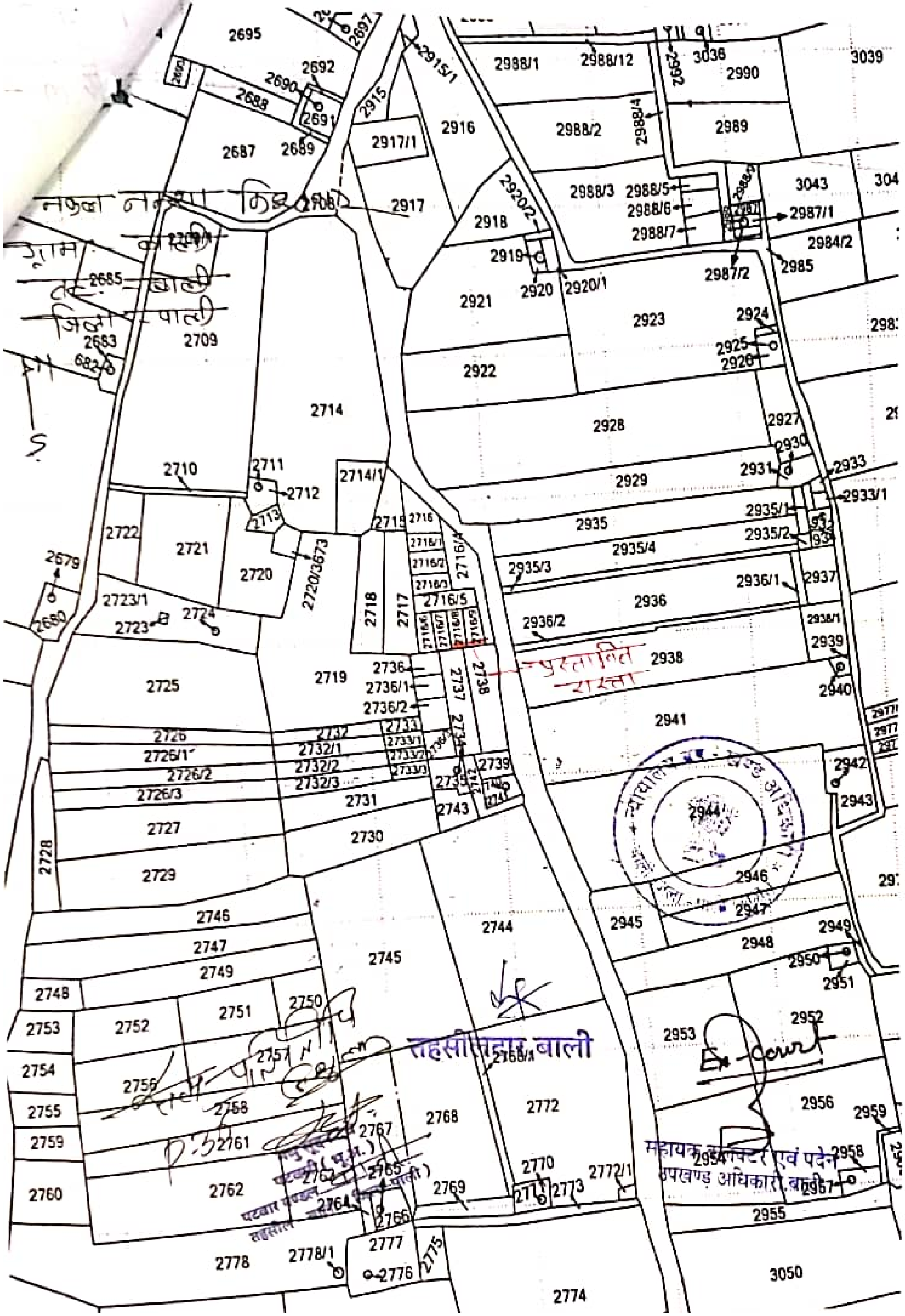
नक्शा नक्शा किश्त
ग्राम वाली
तह. बाली
जिला पाली
प्रस्तावित रास्ता
तहसीलदार बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली
पटवारी हल्का
Ex-Court
2695
2692
2690
2688
2691
2687
2689
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2714/1
2715
2716
2716/4
2716/5
2717
2718
2719
2720
2720/3673
2721
2722
2723
2723/1
2724
2725
2726
2726/1
2726/2
2726/3
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2732/1
2732/2
2732/3
2733
2733/1
2733/2
2733/3
2736
2736/1
2736/2
2737
2738
2739
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2758
2759
2760
2761
2762
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2772
2772/1
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2778/1
2915
2915/1
2916
2917
2917/1
2918
2919
2920
2920/1
2920/2
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2933
2933/1
2935
2935/1
2935/2
2935/3
2935/4
2936
2936/1
2936/2
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2984/2
2985
2987/1
2987/2
2988/1
2988/2
2988/3
2988/4
2988/5
2988/6
2988/7
2988/12
2989
2990
3038
3039
3043
3050

CamScanner